शोध पत्र अर्थशास्त्र

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन

(बालाघाट जिले के विशेष संदर्भ में)

* गौतमा बागड़े

November, 2010

* पी. एच. डी. शोधार्थी माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)

प्रारंभ से ही हमारे नियोजन का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाना और बेरोजगारी दूर करना ही रहा है। यद्यपि देश का कोई भी क्षेत्र गरीबी एवं बेरोजगारी से अछुता नही है। तथापि ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या विकराल स्वरुप धारण किये हुए है। बेरोजगारी की समस्या मुख्य रुप से ग्रामीण क्षेत्र से सम्बद्ध है, और नगरीय क्षेत्र में इस समस्या का जन्म ग्रामीण बेरोजगारी का ही परिणाम है। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने में असफल रहने वाले लोग ही शहरी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने की आशा से आते है, अतः यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि ग्रामीण बेरोजगारी को वही पर रोजगार मुहैया करा दिया जाय। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के न्यूनतम हितो को संरक्षण देने के लिए ससंद द्वारा ''राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया गया और 7 सितंबर 2005 को अधिसूचित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रावधानिक कार्यक्रम ग्रामीण रोजगार के सृजन और सुदृढ ग्रामीण अद्योसंरचना की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना 02 फरवरी 2006 को शुरु की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अकुशल मानव श्रम करने के इच्छुक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष भर में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना तथा गरीबी उन्मूलन की दिशा में अभिनव प्रयास के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी सार्वजनिक परिसम्पतियों का निर्माण एवं सृजन करना है। ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त एवं गतिशील बनाया जा सके। यह योजना वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान 200 जिलों में और 2007–08 के दौरान 130 जिलों में तथा 1 अप्रैल 2008 में सम्पूर्ण देश में लागू की गई।

यह योजना म.प्र. में 2 फरवरी 2006 से 18 जिलों में प्रारंभ की गई थी। 2007–08 से अन्य 13 जिलों में तथा 1 अप्रैल 2008 को पूरे देश मे होने के साथ ही यह राज्य के बचे अन्य जिलों में भी लागू कर दी गई है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी अधिनियम

केन्द्र सरकार के महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम **(NREGA)** का नाम बदलकर अब औपचारिक रुप से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम **(NREGA)** कर दिया गया है। इसके लिए आवश्यक संशोधन विधेयक संसद के दोनो सदनो में दिसम्बर 2009 में पारित किया गया है।ज्ञातव्य है कि 'नरेगा' का नामकरण महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा 2 अक्टूबर 2009 को गांधी जयंती के अवसर पर की थी। इस फैसले के कार्यान्वयन के लिए लोक सभा में संशोधन विधेयक 26 नवम्बर 2009 को पेश किया गया था। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री सी. पी. जोशी द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी संशोधन विधेयक 2009 नाम के इस विधेयक को संसद के दोनो सदनो ने दिसम्बर 2009 में पारित कर दिया है। इसे वर्ष 2005 में बने 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम' का नाम औपचारिक रुप से ''महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी'' अधिनियम **(NREGA)** करने का प्रावधान किया गया है।

मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम – 2 फरवरी 2006 से प्रारंभ की गई। सर्वप्रथम इस योजना को मध्यप्रदेश के 18 जिलों तथा झाबुआ, मण्डला, उमरिया, शहडोल, बड़वानी, शिवपूरी, छतरपुर, सीधी, बालाघाट, टीकमगढ़, खरगौन, बैतूल, खण्डवा, श्योपुर, धार, सिवनी, सतना, एवं डिण्डोरी में लागू किया गयां। वर्ष 2007–08 से अन्य 13 जिलों तथा – अनुपपूर, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, हरदा, कटनी, देवास, पन्ना , दमोह, रीवा, राजगढ़, दतिया, अशोकनगर, गुना में भी लागू किया गया। 1 अप्रैल 2008 को पूरे देश में लागू होने के साथ ही यह राज्य के बचे हुए बाकी 17 जिलों, भुरैना, भिण्ड, ग्वालियर, सागर, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, इन्दौर, विदिशा, भोपाल, सीहोर, रायसेन, होशंगाबाद, जबलपुर, और नरसिंहपुर में भी प्रारंभ कर दी गई।

मध्यप्रदेश में वर्ष 2009 अप्रैल तक कुल 52.07665 लाख परिवारों को काम दिया गया। प्रदेश में कुल 4803.46 करोड व्यय राशि से 3550.96 करोड का व्यय किया जा चुका है। प्रदेश में कुल 497361 कामों को हाथ में लिया गया जिसमें से 184486 कार्यो को पूरा किया जा चुका है और 312875 काम प्रगति में है

अध्ययन के उद्देश्य :–

1.रोजगार गारंटी योजना द्वारा रोजगार सृजन की स्थिति का अध्ययन करना। 2.योजना के हितग्राहियों की आव्रजन स्थिति का अध्ययन करना। 3.योजना के क्रियान्वयन में सहायक एवं बाधक कारकों का विश्लेषण करना।

शोध प्रविधि :–

1.अध्ययन का क्षेत्र – अध्ययन के क्षेत्र के रुप में म.प्र. के बालाघाट जिले की वारासिवनी तहसील को चुना गया है।

2. अध्ययन का समग्र –वारासिवनी तहसील में उद्देश्य पूर्ण चयन विधि से योजना के तहत सभी लाभार्थी परिवार।

3. अध्ययन की इकाई – रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत हितग्राही एवं परिवार।

4. निदर्शन –उद्देश्य पूर्ण निदर्शन प्रणाली के आधार पर 40 लाभार्थी परिवारों का चयन किया गया है।

5. संमक संकलन की विधि –

1. प्राथमिक समंक – साक्षात्कार अनुसूची, अवलोकन एवं समूहचर्चा के माध्यम से उत्तरदाताओं से जानकारी ली गई।

2. द्वितीयक समंक – पत्र–पत्रिकाओं, सरकारी अभिलेख, जनगणना पुस्तिका।

आकड़ों का मूल्यांकन –

तालिका क्रमांक – 1

योजना के प्रश्चात् हिग्राहियों की वार्षिक आय

क्र.	आय (वार्षिक आय)	संख्या	प्रतिशत
1.	9000 से कम	2	5
2.	9001 से 12000	8	20
3.	12001 से अधिक	30	75
	योग	40	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि योजना के प्रारंभ होने कि पश्चात् हितग्राहियों की वार्षिक आय में वृध्दि हुई है। 9001 से 12000 आय वर्ग वाले परिवार 20 प्रतिशत तथा 12001 से अधिक आय वर्ग वाले 75 प्रतिशत परिवार अध्ययन के दौरान पाये गये।

तालिका क्रमांक – 2

लाभार्थियों को वर्ष में प्राप्त रोजगार के दिनों की स्थिति

क्र.	रोजगार दिवस	संख्या	प्रतिशत
1.	40–60	3	7.5
2.	60–80	7	17.5
3.	80–100	30	75
	योग	40	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 75प्रतिशत हितग्राहियों को इस योजना के अंतर्गत वर्ष में 80–100 दिन का रोजगार प्राप्त हुआ तथा 17.5 प्रतिशत को केवल 60–80 दिन का रोजगार ही मिला है।

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि 78 प्रतिशत लाभार्थियों

तालिका क्रमांक – 3

पलायन में कमी की स्थिति

क्र.	पलायन	संख्या	प्रतिशत
1.	कमी	31	78
2.	कमी नही हुई	9	22
	योग	40	100

का कहना है कि इस योजना का लाभ लेने से उनके पलायन में कमी हुई तथा 22 प्रतिशत लाभार्थियों का उनके पलायन में कमी नही हुई है। इस योजना के क्रियान्वयन में कुछ बाधक तत्व देखने में आये है ग्रामीण जनता की अशिक्षा व रोजगार मजदूरी का फायदा उठाया जाता है। निर्धारित दर से कम वेतन दिया जाता है, एवं सही तरीके से योजनाओं की जानकारी नही दी जाती है। कार्य स्थल पर सुविधाओं का अभाव आदि कमियां दिखलाई गयी है। उपरोक्त समस्याओं, अनिमियताओं को दूर करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा समय–समय पर ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर कार्यो का निरीक्षण किया जाता है।

निष्कर्ष :–

केन्द्र सरकार द्वारा चलाये गये इस रोजगार का उद्देश्य रोजगार को सुनिश्चित कर गरीबी उन्मूलन व विकास करना है। इस अध्ययन में सकारात्मक व लाभप्रद परिणाम के साथ–साथ कुछ विसंगतियाँ भी देखने को मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना से पलायन स्थिति में कमी आई है, तथा रोजगार उपलब्धता के अवसर मिले है। ग्रामीण क्षेत्रों में किये गये निर्माण कार्यो से बुनियादी सुविधाओं का विकास हुआ है। इस विकास प्रक्रिया में जनता की भागीदारी सुनिश्चित हुई है।

सुझाव :–

1. कार्य दिवस को 100 दिन से बढ़ाकर कम से कम 180 दिन कर दिया जाना चाहिए। 2.योजना के क्रियान्वयन में व्यापक अनियमितता को रोकने के लिए कठोर नियम तो बनाये ही जाये तथा उन्हें भाक्ति से लागू किया जाये। 3.कार्य स्थल पर सुविधाओं की उपलबधता सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ

1. प्रतियोगिता दर्पण फरवरी 2006 पेज नं. 1290। 2. म.प्र. रोजगार गारंटी अधिनियम– म.प्र. भाासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। 3. योजना अक्टूबर 2005 मासिक पत्रिकाप .क्र. 35। 4. कुरुक्षेत्र मई 2006 प .क्र. 32। 5. पंचायती राज अपडेट अक्टूबर 2007। 6.भारतीय अर्थव्यवस्था वार्शिक अतिरिक्तांक, प .क्र. 178 ।